उत्तर प्रदेश शासन।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

संख्या-25/2025/444/78-2-2025 - 78-02099/66/2023

लखनऊ: दिनांक 28 मार्च, 2025

शुद्धि पत्र

आई0टी0 अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-19/2025/441/002-78-02099/66/ 2023, दिनांक 28 मार्च, 2025 द्वारा शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू किये जाने हेतु धनराशि रु0 2,63,00,000.00 की पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। लिपिकीय त्रुटिवश उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-2 में प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी के स्थान पर प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को टंकित हो गया है।

अत: उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2025 प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-2 में उल्लिखित ''प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को'' के स्थान पर ''प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी'' पढ़ा जाये। शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। मूल सशानादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावथ रहेंगे।

अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, उद्योग, कानपुर, उ0प्र0।
2- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- महालेखाकर (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज ।
4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0 ।
7- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10- नियोजन अनुभाग-4, योजना भवन लखनऊ ।
11- औद्योगिक विकास अनु0-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3
12- अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम,आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन।
13- आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन ।
14- गार्ड फाइल ।

भवदीय,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in